

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, फर्रुखाबाद।

पत्रांक: /जि0का0अ0/विज्ञापित/2025-26

दिनांक: 12 नवम्बर, 2025

संशोधित विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश सं0 1/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद फर्रुखाबाद के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मानदेय आधारित संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण		
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
01	बढ़पुर	82	35	28	19
02	कायमगंज	85	42	23	20
03	कमालगंज	66	36	16	14
04	मोहम्मदाबाद	111	52	29	30
05	नवाबगंज	76	37	16	23
06	राजेपुर	78	43	18	17
07	शमसाबाद	50	29	11	10
08	शहर	44	19	13	12
कुल योग		592	293	154	145

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
3. आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी।
4. चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला का वरीयता दी जायेगी।
5. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
6. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलायें।
7. गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलायें/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

(Handwritten Signature)

8. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजीटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन सभव हो।
9. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
10. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाईन व सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। किसी भी प्रकार के तथ्य/आंकड़े, प्राप्तांक, पूर्णांक, जन्मतिथि आदि त्रुटिपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व स्पष्ट रूप से पठनीय हो, अपलोड की जायेंगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म में किया गया होगा।
11. ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 04-12-2025 होगी।
12. मा0 न्यायालय में वाद/निर्णय/आदेश होने या चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में रिक्तियों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
फर्रुखाबाद।

पृष्ठांकन संख्या:- 1796 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
4. जिला सूचना अधिकारी को इस आशय कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति का निशुल्क प्रकाशन एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के समाचार-पत्र में कराये जाने का कष्ट करें।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति एवं रिक्त पदों की सूचना मय आरक्षण तहसील/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में चस्पा करना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय प्रति।


जिला कार्यक्रम अधिकारी,
फर्रुखाबाद।